न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 20.06.2023

वाहिद पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

–विपक्षी

एफ.आई.आर. नम्बर 98 / 2023 पुलिस थाना निवाई जिला टोंक अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6,8, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन टाटा एलपीएस–4018 ट्रेलर संख्या आर जे 29 जी ए 4681

उपस्थिति : (1) श्री सलीम नकवी, अभिभाषक प्रार्थी
(2) पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 27.07.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि पुलिस थाना निवाई जिला टोंक ने दिनांक 05.03.2023 को वाहन नम्बर आर.जे–29 जी ए 4681 **कन्टेनर** में 49 नर अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त कर गोवंश को आाशाराम गौशाला निवाई मे संरक्षित रखवाने हेतु सुपुर्दगी मे दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना निवाई जिला टोंक से केस डायरी तलब किये जाने पर उनके द्वारा काउन्टर पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना निवाई जिला टोंक ने दिनांक 05.03.2023 को वाहन नम्बर आर.जे.–29 जी ए 4681 **टाटा एलपीसी–4018 ट्रेलर** में 49 अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त किया है वाहन थाने में खुले स्थान पर खडा हुआ है, जिससे वाहन के ट्यूब,टायर आदि के खराब होने व रंग रोगन व इंजन में परिवर्तन आने की पूर्ण संभावना है। वाहन के पुलिस में जप्त रहने से प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति हो रही है। पुलिस तफतीश पूर्ण हो चुकी है, प्रार्थी जब्त शुदा वाहन का स्वामी है, जो जब्तशुदा उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी मे प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकार प्राप्त है। अतः जप्त शुदा वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बैलो (बछड़ों) को विधिवत रूप से क्रय नही कर पिक अप मे अव्यवस्थित रूप से क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जा रहा था। बछड़ो को थानाधिकारी निवाई जिला टोंक द्वारा वाहन नम्बर आर.जे.–29 जी ए 4681 **कन्टेनर** गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जप्त किया गया है । वाहन से धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम का अपराध कारित होना एंव राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 में हुए अधिनियम में संशोधन अधिनियम 2018(2019 अधिनियम सं.25) की धारा 6 क यह कहती है कि कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किया जावे तो ऐसा अपनाध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहरण का कोई भी साधन अधहिरण के दायित्वहीन होगा ओर अभिगृहित वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है। इस कारण भी प्रार्थी सुपुर्दगार का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक प्रार्थी एंव पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया। वाहन आर.जे.–29 जी ए 4681 **कन्टेनर** राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में जप्त किया गया है।

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6–क. इस प्रकार हे–

धारा 6–क प्रवहण के साधन का अधिहरण–

(1) जब कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किय जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

(2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहित किया जाता है तो वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिये चाहे अभियोजन संस्थित किये जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर जहां प्रवहण का उक्त साधन अधिगृहीत किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिये उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण कर सकेगाः

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने के संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगाः

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपकम के स्वामित्वाधीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के अधिहरण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम

जिला कलेक्टर

अधिकारी द्वारा मामला, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे:

परन्तु यह भी कि इस उप धारा के अधीन आधिहरण का आदेश करने के पूर्व,उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नही दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

. (3) जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोक हित में या उसके स्वामी के फायदे के लिये यह समीचीन है दकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहित, उप धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विकय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विकय किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वधीन है''।

प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी के उक्त वाहन का तथाकथित आरोपित अपराध से किसी तरह का कोई संबंध नही है। प्रार्थी के वाहन को पुलिस ने प्रकरण मे गलत रूप से जब्त किया है। थानाधिकारी पुलिस थाना निवाई जिला टोंक ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 मे अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. निवाई मे पेश किया जा चुका है। जब्तशुदा वाहन कन्टेनर नम्बर आर.जे.–29 जी ए 4681 पुलिस थाना निवाई शहर मे खडा होने का उल्लेख किया है। अतः प्रार्थी का वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायेचित है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना निवाई जिला टोंक द्वारा जप्त वाहन आर.जे.–29 जी ए 4681 **कन्टेनर** को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में 50.000/रूपये (पचास हजार रूपये) राजकोष में जमा करवाकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी निवाई को प्रस्तुत कर दें, तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी निवाई को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते